कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

ई –मेल : deanshivpuri@gmail.com वेबसाइट http://shivpurimedicalcollege.com

क्रमांक. 2979/स्था./अराज/2021 शिवपुरी, दिनांक – 10/3/2022

//विज्ञप्ति सूचना पत्र (केवल महिला संविदा कर्मियों हेतु)//

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय परिचारिका संवर्ग (नर्सिंग ऑफिसर) आदर्श सेवा नियम 2018 एवं संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. द्वारा प्राप्त अनुसूचियों के अंतर्गत श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी–5–2/2018/1/3 भोपाल 05 जून 2018 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 25.07.2018 के तहत् भर्ती किये जाने वाले पदों का 20 प्रतिशत पदों की पूर्ति हेतु ऐसे संविदा कर्मचारियों से जो 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो, एवं पूर्व की संविदा सेवा का नियमित नियुक्तियो में लाभ न लिया हो, के आवेदन पत्र दिनांक 24.03.2022 को रात्रि 12:00 बजे तक भरे जा सकते हैं। उपरोक्त विज्ञापन तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) की वेबसाइट http://shivpurimedicalcollege.com पर उपलब्ध हैं। विज्ञप्ति की विस्तृत जानकारी एवं शुल्क इत्यादि की जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार हैं–

सीधी भर्तीः– नर्सिंग ऑफिसर (महिला संविदा कर्मचारियों हेतु)– कुल पद 22
वेतन बैंड+ ग्रेड–पे :– 5200–20200+2800/–

स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	योग
		महिला	महिला		
1	अनारक्षित	02	01	01	04
2	अनुसूचित जाति	02	01	01	04
3	अनुसूचित जनजाति	01	01	01	03
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	01	01	06
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	04	01	00	05
योग		13	05	04	22

नोटः– क्रमांक एफ7–53–2019–आ.प्र.–1 म.प्र. लोक सेवा अधिनियम 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1998 में संशोधन दिनांक 24.12.2019, श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन सीधी भर्ती द्वारा **नर्सिंग ऑफिसर (महिला संविदा कर्मचारियों हेतु)** के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है।

1. संविदा कर्मचारियों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–

नर्सिंग ऑफिसर	1. अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12 वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से बी.एस.सी.(नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ट प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 3. मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन। 4. अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 05 वर्ष की संविदा सेवा पर कार्य किया जाना चाहिए। यह अवधि आवेदन करने की दिनांक तक पूर्ण किया जाना चाहिए। इस आशय का अनुभव प्रमाण पत्र एवं वर्तमान में कार्यरत संविदा कर्मचारी को अपनी नियोक्ता संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. <u>नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु निर्देश/शर्तेः–</u>

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक सी. 3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के तहत् शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति प्रदान किये जाने के निर्देश हैं। जिसमें परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

पद– नर्सिंग ऑफिसर
लेवल– 07
वेतनमान– 5200–20200+2800 ग्रेड–पे (सातवें वेतनमान में मूल वेतन–28700/–)

3. वेतनमान एवं अन्य भत्तेः–

महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ मध्यप्रदेश शासन नियमानुसार लागू होगें।

4. आरक्षणः–

1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमिलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिए आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
3. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यार्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो।
4. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी राज्य पत्र अधिसूचना क्रमांक 19.01.2015 के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।
5. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–6–1/2002/अ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा म.प्र. लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1988 के नियम–4(ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अंतर्गत "4–ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपवंध" में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाडा के तामिया

विकासखण्ड की भारिया जनजाति का हैं, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता हैं और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता हैं तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जावेगा।

6. दिव्यांगजन के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 8–4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) भोपाल दिनांक 17 सितम्बर 2018 अनुसार रहेगा।

अस्थि बाधित	अस्थि बाधित (45%–50%) शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता मान्य है।

7. उक्त पदों में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियो को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्रमांक सी 5–2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार रहेगा।

8. उक्त पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ–9–3/2012/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2012 के अनुसार रहेगा।

9. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ 07–11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

5. आवेदन शुल्कः–

अनारक्षित श्रेणी हेतु 1000/– (एक हजार रूपये मात्र) तथा आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर/दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिक) हेतु रूपये 700 रू./– (सात सौ मात्र) श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) के निम्न खाते में ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य हैं।

Accounts Details: A/c Holder: DEAN Government Medical College, Shivpuri, Bank Name, State Bank of India, Gurudwara Chowk, Branch Shivpuri (M.P.), Account Number- 37825099328 IFSC Code- SBIN0030086

6. आयुसीमाः–

1. अनारक्षित वर्ग हेतु – न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मंण्डल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक निःशक्तजन/महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि हेतु – न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष (अधिकतम आयुसीमा में 05 वर्ष की छूट)

नोटः– आयु की गणना 01 जनवरी 2022 के आधार पर की जावेगी।

7. सामान्य शर्तेंः–

1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी (डिजिटल प्रमाण पत्र) होना चाहिए।
2. श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. सेवा एवं सेवा शर्तो तथा वेतन से संबंधित शर्तो में किसी भी समय शासन की नीतियों एवं निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन किये जाने का अधिकार क्षेत्र इस कार्यालय का हैं।
4. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अहर्ता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडो को पूरा करते हों उन्हे दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते है, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र (डिजिटल प्रमाण पत्र) की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी।

6. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य है।

7. अधिष्ठाता, श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जबावदारी नहीं होगी।

8. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

9. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, ग्वालियर में मान्य होगा।

10. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

11. वैवाहिक स्थिति– एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगें अगर प्रथम विवाह से विच्छेद ना हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो तो ऐसे आवेदक चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

12. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये गये अनुसार बंधनकारी होंगी।

13. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते है तो उम्मीदवारों की जन्म तिथि पर विचार किया जायेगा अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के उपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवारों को वरीयता दी जावेगी जिन्होने आवेदन किये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अहर्ता में अधिक अंक प्राप्त किये है ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियाँ एक से अधिक आवेदक के लिए समान हो तो कक्षा 12 वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।

14. उक्त पद हेतु आवेदन के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लेवें।

8. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्रः–

नर्सिंग ऑफिसर को न्युनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतुं सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

9. अनहर्तायें/निर्हतायें:–

निम्नलिखित मामलों में उल्लंधन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थाई रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जायेगा:–

1. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो।
2. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छुपाई हो।
3. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो।
4. आवेदकों को म.प्र. (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो।

(अ). महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित हो ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये की ऐसा करने का पर्याप्त करण है तो वह प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

(ब) जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य नहीं पाये गये।

(स) महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराधी का दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

(द) जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान से जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

5. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

10. चयन प्रक्रिया (नर्सिंग ऑफिसर का वेटेज निम्नानुसार रहेगा) :–

- प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची निम्न तालिका अनुसार बनाई जावेगी।

Higher Secondary (12th) Percentage (%0.2)(Max20 Marks)	BSC NURSING/GNM Percentage (%0.5)(Max50 Marks)	BSC NURSING = 25 GNM = 20	MSC NURSING = 05	Total = 100 Marks

- प्रवीणीय सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते है तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा। अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के उपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी। जिन्होंने आवेदन किये हुये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम आर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये है ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनो स्थितियां एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12 वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यार्थी को वरीयता दी जावेगी।
- दस्तावेज सत्यापन के दौरान 12 वीं परीक्षा की अंकसूची में शैक्षणिक योग्यतानुसार भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान नहीं होने पर अभ्यार्थी को आयोग्य घोषित किया जावेगा।
- दस्तावेज सत्यापन में त्रुटी पाई जाने पर उम्मीदवार को आयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की योग्यता संबंधि समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
- भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जावेगा।

नोट– अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर एक पद पर 5 आवेदकों को मेरिट सूची अनुसार मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा ।

11. आवेदन संबधित समय तालिका :–

कमांक	गतिविधि	तारीख
1	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	14.03.2022
2	ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	24.03.2022

12. आवेदन कैसे करें :–

- आवेदन पत्र भरने हेतु श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की ऑफिशियल वेबसाईट http://shivpurimedicalcollege.com पर लिंक उपलब्ध रहेगी।
- आवेदक को ऑनलाइन फीस भरना अनिवार्य हैं तत्पश्चात् वह ऑनलाइन फॉर्म को भरने की प्रकिया प्रारंभ कर सकते हैं ऑनलाइन शुल्क निम्न खाते में ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य हैं–

Accounts Details: A/c Holder: DEAN Government Medical College, Shivpuri, Bank Name, State Bank of India, Gurudwara Chowk, Branch Shivpuri (M.P.), Account Number- 37825099328 IFSC Code- SBIN0030086

- आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पूर्व अपने समस्त दस्तावेज अपने पास रखें ताकि फार्म भरने के समय चाही गयी जानकारी मूल दस्तावेज के अनुसार ही आवेदन फार्म में भरे । यदि आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी मूल दस्तावेज के अनुरूप/गलत भरी जाती हैं तो उक्त आवेदन मूल दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अमान्य किया जावेगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन की गई प्रति की (जेपीजी) बनाकर उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाना आनिवार्य है।

13. महत्वपूर्ण टीपः–

उपरोक्त तिथियां श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की वेबसाईट http://shivpurimedicalcollege.com का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें। इस संबंध में श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की कोई जवावदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय–समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छियापा नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता हैं कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर हुआ तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेंगी एवं तदानुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया
चिकित्सा महाविद्यालय,शिवपुरी (म.प्र.)